न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 37/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रहीम खां पुत्र स्व0 छुटमल जाति मेव निवासी ग्राम मुंडपुरी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. उत्तमसिंह पुत्र श्री गण्डासिंह कौम रायसिख निवासी ग्राम सॉखला तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

..... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उदयसिंह अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–09.02.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 99/0.19, 102/0.09 है0 वो ग्राम सॉखला तहसील रामगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी पर वादी अर्सा करीब 60 साल से काबिज है व काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी से पूर्व वादी के पिता का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त था व पिता के स्वर्गवास के बाद वादी उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादी सं0 1 का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है न कभी प्रतिवादी सं0 1 का उक्त आराजी पर कब्ज़ा काश्त रहा है किन्तु प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत प्रकार से हाल राजस्व रेकार्ड दर्ज चला आ रहा है जिसे कलमजन कराने का वादी अधिकारी है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत

शिविर/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला में प्रस्तुत हुई जिसमें उभयपक्षकारान को माईक पर बार–बार आवाज दिलवाई, कोई उपस्थित नहीं आया । इसलिए मूल वाद अदम हाजरी में दि0 29.06.2016 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 29.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में तारीख नियत होने के बाद नियत तिथि से पूर्व बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये खिलाफ कानून दावा खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश में यह अंकित किया है कि बार–बार आवाज दिलाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया । वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया । यहां गौर तलब है कि अपीलांट खेतीहर मजदूर है जो बाहर कमाने खाने गया हुआ था । अपीलांट को आगामी नियत तिथि बतादी गयी थी, उससे पूर्व ही दि0 29.06.2016 को कैम्प में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं कियागया तथा न कोई विधिवत् सूचना दी गई । कानूनन यह कैम्प कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय में भेजा जाना चाहिए था । अदम हाजरी में दावा खारिज करने का तहत न्यायालय को बहैसियत अध्यक्ष लोक अदालत कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत् सुनवाई कर वाद का निर्णय मैरिट पर करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया है वह लोक अदालत की भावना से नहीं किया गया है । दावे में अभी साक्ष्य भी नहीं ली गयी है तथा न कोई तनकी आदि बनायी गयी है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई मनमाना एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में ए.आई.आर. 2016, ए.आई.आर. 2017 पेज 168 एवं लीगल सर्विसेज अथोरिटिज एक्ट 1987 सैक्शन 19–20 पेज 275 प्रस्तुत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रतिउत्तर बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही वाद खारिज किया है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यही रहा है कि जो निर्णय किया गया है वह लोक अदालत की भावना से नहीं किया गया है क्योंकि जो निर्णय किया उसमें किसी भी सदस्य या अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं । केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं । साथ ही लोक अदालत का कोई फार्म भी नहीं भरवाया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालत की भावना से पारित नहीं किया है क्योंकि इसमें न तो पक्षकारान उपस्थित थे और न ही पक्षकारान से लोक अदालत की प्रकिया अनुसार कोई फार्म नहीं भरवाया गया है । आदेशिका अवलोकन उपरान्त सभी पक्षकार भी कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

हमने तहत अदालत के निर्णय का तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह सही है कि यह निर्णय अदालत में नहीं होकर कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में पत्रावली पेश होने पर हुआ है । प्रकरण का मुख्य विषय सर्वप्रथम यह है कि क्या यह निर्णय लोक अदालत के निर्णय की परिभाषा में आता है । लोक अदालत के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं तथा उनके मध्य राजीनामा पेश किया है, वह भी अपूर्ण प्रतीत होता है । निर्णय पर अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं है । अतः यह निर्णय लोक अदालत के आदेश की परिभाषा में नहीं पाया जाता है बल्कि कैम्प कोर्ट का निर्णय है । जहां तक निर्णय का प्रश्न है, आदेश अपने आपमें अपूर्ण है जो रेकार्ड व तथ्यों के अनुसार नहीं है । प्रकरण में न तो तनकीयात कायम की गई हैं और न ही साक्ष्य ही पेश हुई है । अतः न्यायालय का यह मत है कि प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य व रेकार्ड पेश करने का मौका देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित होना चाहिए ।.

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का निर्णय दि0 29.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण व पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.2.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर